



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230455
CG-DL-E-16102021-230455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3926]
No. 3926]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4275(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2312(E) , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर नए 2-लेन पुल का निर्माण जो मौजूदा रेल सह सड़क पुल (नारायण सेतु) के समानांतर 250 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम (डिज़ाइन किमी. 0+000 से किमी. 0+150) बोंगाईगांव जिले में और (डिज़ाइन किमी 0+150 से किमी. 4+385) गोलपारा जिले के निर्माण (2 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20.06.2021 को "दा असम ट्रिब्यून (इंग्लिश)" और "नियोमिया बारता (वर्नाकुलर)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 जोगीघोषा में ब्रह्मपुत्र नदी पर नए 2-लेन पुल का निर्माण जो मौजूदा रेल सह सड़क पुल (नारायण सेतु) के समानांतर 250 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम (डिज़ाइन किमी. 0+000 से किमी. 0+150) बोंगाईगांव जिले में और (डिज़ाइन किमी 0+150 से किमी 4+385) गोलपारा जिले के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: बोंगाईगांव			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बोईटमारी				
	गांव का नाम: भाटीपारा एन सि				
1	102	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.029899	गोवत. ऑफ़ असम (१०२)
2	103	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.479966	गोवत. ऑफ़ असम (१०३)
3	104	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.885833	गोवत. ऑफ़ असम (१०४)
4	105	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.281309	गोवत. ऑफ़ असम (१०५)
5	106	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.471197	गोवत. ऑफ़ असम (१०६)
6	111	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.078015	गोवत. ऑफ़ असम (१११)
7	112	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0599	गोवत. ऑफ़ असम (११२)

8	113	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0583	गोवत. ऑफ़ असम (११३)
9	114	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.067835	गोवत. ऑफ़ असम (११४)
10	115	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.056587	गोवत. ऑफ़ असम (११५)
11	116	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.068042	गोवत. ऑफ़ असम (११६)
12	117	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.074616	गोवत. ऑफ़ असम (११७)
13	118	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.078058	गोवत. ऑफ़ असम (११८)
14	123	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.059813	गोवत. ऑफ़ असम (१२३)
15	124	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.026889	गोवत. ऑफ़ असम (१२४)
16	125	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.190465	गोवत. ऑफ़ असम (१२५)
17	126	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.013767	गोवत. ऑफ़ असम (१२६)
18	127	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.106698	असम सरकार (१२७)
19	131	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.072699	गोवत. ऑफ़ असम (१३१)
20	132	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.077655	गोवत. ऑफ़ असम (१३२)
21	133	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.017962	गोवत. ऑफ़ असम (१३३)
22	241 (Patta No. 8)	निजी	सलिटाली (कृषि)	0.166467	नूर आलम पुत्र कुतुबुद्दीन, मोहम्मद शाह आलम पुत्र स्वर्गीय कुतुबुद्दीन, मोहम्मद फारुक आलम पुत्र कुतुबुद्दीन, ग्राम- भाटीपारा एन.सी. (२४१)

23	75	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.018371	गोवत. ऑफ़ असम (७५)
24	79	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.146058	गोवत. ऑफ़ असम (७९)
25	80	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.067127	गोवत. ऑफ़ असम (८०)
26	81	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.065512	गोवत. ऑफ़ असम (८१)
27	82	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.018925	गोवत. ऑफ़ असम (८२)
28	91	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.114965	गोवत. ऑफ़ असम (९१)
29	92	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.598346	गोवत. ऑफ़ असम (९२)
30	94	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.033448	गोवत. ऑफ़ असम (९४)
31	95	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.37288	गोवत. ऑफ़ असम (९५)
32	96	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.376853	गोवत. ऑफ़ असम (९६)
33	97	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.675302	गोवत. ऑफ़ असम (९७)
			कुल	5.909759	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Dhubri/JogighopaBridge/LA/2021/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4275(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O No. **2312(E)**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway number - 17 for construction of New 2-lane bridge across river Brahmaputra in Jogighopa i.e., downstream

at distance of 250m parallel to existing Rail cum Road Bridge (Naranarayan Setu) (Design Km. 0+000 to Km. 0+150) under Bongaigaon District and (Design Km. 0+150 to Km. 4+385) under Goalpara District in the State of Assam;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Assam Tribune (English)**” and “**Niyomiya Barta (Vernacular)**” both dated **20.06.2021** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway number - 17 for construction of New 2-lane bridge across river Brahmaputra in Jogighopa i.e., downstream at distance of 250m parallel to existing Rail cum Road Bridge (Naranarayan Setu) (Design Km. 0+000 to Km. 0+150) under Bongaigaon District and (Design Km. 0+150 to Km. 4+385) under Goalpara District in the State of Assam.

State: ASSAM		District: BONGAIGAON			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Boitamari				
	Village: Bhatipara N.C.				
1	102	Government	Salitali (Agriculture)	0.029899	Govt. of Assam 102
2	103	Government	Salitali (Agriculture)	0.479966	Govt. of Assam 103
3	104	Government	Salitali (Agriculture)	0.885833	Govt. of Assam 104
4	105	Government	Salitali (Agriculture)	0.281309	Govt. of Assam 105
5	106	Government	Salitali (Agriculture)	0.471197	Govt. of Assam 106
6	111	Government	Salitali (Agriculture)	0.078015	Govt. of Assam 111
7	112	Government	Salitali (Agriculture)	0.0599	Govt. of Assam 112
8	113	Government	Salitali (Agriculture)	0.0583	Govt. of Assam 113
9	114	Government	Lahitali (Agriculture)	0.067835	Govt. of Assam 114

10	115	Government	Lahitali (Agriculture)	0.056587	Govt. of Assam 115
11	116	Government	Lahitali (Agriculture)	0.068042	Govt. of Assam 116
12	117	Government	Lahitali (Agriculture)	0.074616	Govt. of Assam 117
13	118	Government	Lahitali (Agriculture)	0.078058	Govt. of Assam 118
14	123	Government	Lahitali (Agriculture)	0.059813	Govt. of Assam 123
15	124	Government	Lahitali (Agriculture)	0.026889	Govt. of Assam 124
16	125	Government	Lahitali (Agriculture)	0.190465	Govt. of Assam 125
17	126	Government	Lahitali (Agriculture)	0.013767	Govt. of Assam 126
18	127	Government	Lahitali (Agriculture)	0.106698	Govt. of Assam 127
19	131	Government	Salitali (Agriculture)	0.072699	Govt. of Assam 131
20	132	Government	Lahitali (Agriculture)	0.077655	Govt. of Assam 132
21	133	Government	Lahitali (Agriculture)	0.017962	Govt. of Assam 133
22	241 (Patta No. 8)	Private	Salitali (Agriculture)	0.166467	Nur Alam S/o Kutubuddin, Md. Shah Alam S/o Late Kutubuddin, Md. Faruk Alam S/o Kutubuddin, Village- Bhatipara N.C. 241
23	75	Government	Salitali (Agriculture)	0.018371	Govt. of Assam 75
24	79	Government	Salitali (Agriculture)	0.146058	Govt. of Assam 79
25	80	Government	Salitali (Agriculture)	0.067127	Govt. of Assam 80
26	81	Government	Salitali (Agriculture)	0.065512	Govt. of Assam 81
27	82	Government	Salitali (Agriculture)	0.018925	Govt. of Assam 82
28	91	Government	Salitali (Agriculture)	0.114965	Govt. of Assam 91
29	92	Government	Salitali (Agriculture)	0.598346	Govt. of Assam 92
30	94	Government	Salitali	0.033448	Govt. of Assam

			(Agriculture)		94
31	95	Government	Salitali (Agriculture)	0.37288	Govt. of Assam 95
32	96	Government	Salitali (Agriculture)	0.376853	Govt. of Assam 96
33	97	Government	Salitali (Agriculture)	0.675302	Govt. of Assam 97
			TOTAL	5.909759	

[F. No. NHIDCL/PMU-Dhubri/JogighopaBridge/LA/2021/3D]

RAJESH GUPTA, Director